संख्याः 2093 / III-2/08-16(प्रा0आ0)/2008

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 25 जुलाई, 2008

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-09 में जनपद पिथौरागढ़ में दूनाकोट से बोरागांव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सुधार कार्य की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1568/24(12)याता0-30/08 दिनांक 27.6.08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य का उपलब्ध कराया गया जनपद पिथौरागढ़ में दूनाकोट से बोरागांव हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं सुधार कार्य का आगणन लम्बाई 2.00 किमी0 लागत रू0 54.00 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई इतनी ही धनराशि (रू0 चौंवन लाख मात्र) की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में रू0 0.10 लाख (रू0 दस हजार मात्र) व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है,अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वनभूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यों के लिये सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त करा ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4- कार्य कराने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताऐं पूर्ण कराते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचिलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाये।

5- यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हो तो उस कार्य हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों

क्रमशः

पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाये। कार्य कराते समय टैण्डर तद्विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर कार्य पूर्ण होता है तो ऐसी समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाये।

7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य के निमित्त पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

9. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिपपणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग अवश्य करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11- इस सम्बन्ध मं होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राज्य सैक्टर-02-नया निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-674/XXVII (2)/08 दिनांक 25 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्याः- 2593 (1)/III(2)/08-02(प्रा0आ0)/08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, मांजरा, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
4- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5- अधीक्षण अभियन्ता,12 वां वृत्त,लो0नि0वि0,पौडी।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9- लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।